

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-1459/3-5-2, दिनांक 01/07/2021 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु प्राक्कलन 1100 पौध/है० @ 4,93,670.00 वसूली वर्ष 2024-25 के अनुसार।

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक नवनिर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- सिविल सोयम ग्राम-गडैता खसरा संख्या-1, 4 व 5 क्षेत्रफल 23.00 है०

प्रथम चरण/वर्ष					
क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा	ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हैक्टेयर	1.00	300.00	300.00
2	लैण्टाना झाड़ी कटान काय।	प्रति है०	1.00	7810.00	7810.00
3	चैक प्लाटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	हैक्टेयर	1.00	886.00	886.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेसिंग) 150 र०मी० (0.45+0.60)/2X1.20 = 94.50 घमी०	प्रति घमी०	94.50	933.00	88168.50
5	गड्डों का संरक्षण चूने की कीमत सहित	प्रति सैकडा	1100	89.00	979.00
6	गड्डा खुदान (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	16.00	17600.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	प्रति पौध	1210	27.22	32936.20
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	प्रति सैकडा	1100	78.00	858.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अन्य व्यय-				
	1-निरीक्षण बटियां	प्रति है०	1.00	1593.00	1593.00
	2-रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि	प्रति है०	1.00	2500.00	2500.00
योग-प्रथम चरण					167980.70

द्वितीय चरण/वर्ष

क्र०सं०	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण (30 X 30 X 45 सेमी)	प्रति गड्डा	1100	1.95	2145.00
2	पौधों की लदाई-उतराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	प्रति सैकडा	1210	1.37	16.58
3	पौध दुलान 10 प्रतिशत दुलान में क्षति सहित	प्रति पौध	1210	12.77	15451.70
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	प्रति पौध	1210	3.24	3920.40
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	प्रति पौध	1100	5.80	6380.00
6	रोपण के पश्चात लैण्टाना झाड़ी कटान एवं फुकान	प्रति है०	1.00	3909.00	3909.00
7	निराई-गुडाई मल्लिचंग व थावलाबन्दी				
	प्रथम बार	प्रति पौध	1100	5.31	5841.00
	द्वितीय बार	प्रति पौध	1100	2.31	2541.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु	प्रति है०/प्रतिमाह	9	1241.50	11173.50
9	जल मृदा संरक्षण हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य करना।	प्रति है०	1.00	14350.00	14350.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्रति है०	1.00	988.00	988.00
11	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	प्रति है०	1.00	4000.00	4000.00
योग-द्वितीय चरण					70716.18
कुल योग प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण					238696.88